

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर
नागरिक अधिकार पत्र

क्र.सं.	जिज्ञासा	समाधान																																												
1.	निगम की स्थापना	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम की स्थापना 30 दिसम्बर, 1957 को हुई एवं निगम ने वास्तविक रूप में कार्य 24 मार्च, 1958 से प्रारम्भ कर दिया था। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 58) के अन्तर्गत कार्यरत है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है।																																												
2.	निगम का उद्देश्य एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं	<p>राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में कृषकों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सहकारी संस्थाओं, सरकारी प्रतिष्ठानों के हितार्थ उनके कृषि उत्पाद, बीज, उर्वरक, रासायनिक खाद, कृषि यंत्र एवं अधिसूचित जिन्सों का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण की सेवा प्रदान करना है।</p> <p>उपरोक्त सेवा के साथ-साथ राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम द्वारा निम्न सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसानों को उनकी जमा फसल पर 75 प्रतिशत रहन ऋण उपलब्ध कराना। • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहकारी संस्थानों को रियायती दरों पर भण्डारण की सेवाएं उपलब्ध करवाना। • जमाकर्त्ताओं के अनुरोध पर हैण्डलिंग एवं परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करवाना। 																																												
3.	विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों/कार्मिकों के नाम, टेलीफोन नम्बर तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण	<p style="text-align: center;">दूरभाष</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>कार्यालय</th> <th>निवास</th> <th>मोबाइल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक</td> <td>2563391</td> <td>2760288</td> <td>9414024500</td> </tr> <tr> <td>(b) श्री बृज भूषण शर्मा, वित्तीय सलाहकार</td> <td>2560697</td> <td>-</td> <td>9414067747</td> </tr> <tr> <td>(c) श्री राजवर्धन, संयुक्त निदेशक(प्रशासन)</td> <td>2576965</td> <td>-</td> <td>9413386789</td> </tr> <tr> <td>(d) श्री सुरदीप सिंह, संयुक्त निदेशक (विकास)</td> <td>2567259</td> <td>-</td> <td>9413339000</td> </tr> <tr> <td>(e) श्री योगेश कुमार वर्मा, उप निदेशक (व्यापार/क्यू.सी.)</td> <td>2567730</td> <td>-</td> <td>9928185736</td> </tr> <tr> <td>(f) श्री जितेन्द्र कुमार बंसल, अधिशाषी अभियन्ता-प्रथम</td> <td>2560696</td> <td>-</td> <td>9413386302</td> </tr> <tr> <td>(g) श्री राजेश सहारण, अधिशाषी अभियन्ता-(द्वितीय)</td> <td>2576964</td> <td>-</td> <td>9413385832</td> </tr> <tr> <td>(h) श्रीमती बिन्दू भोभरिया, लेखाधिकारी (व्यापार)</td> <td>2576964</td> <td>-</td> <td>7728094678</td> </tr> <tr> <td>(i) श्री राणु लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी(वाणिज्य/क्यू.सी./स्टोर्स)</td> <td>2565060</td> <td>-</td> <td>9414042690</td> </tr> <tr> <td>(j) श्री महेश चन्द कौशिक, सहायक लेखाधिकारी(अभियांत्रिकी/भुगतान)</td> <td>2571608</td> <td>-</td> <td>9414016116</td> </tr> </tbody> </table>		कार्यालय	निवास	मोबाइल	(a) श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	2563391	2760288	9414024500	(b) श्री बृज भूषण शर्मा, वित्तीय सलाहकार	2560697	-	9414067747	(c) श्री राजवर्धन, संयुक्त निदेशक(प्रशासन)	2576965	-	9413386789	(d) श्री सुरदीप सिंह, संयुक्त निदेशक (विकास)	2567259	-	9413339000	(e) श्री योगेश कुमार वर्मा, उप निदेशक (व्यापार/क्यू.सी.)	2567730	-	9928185736	(f) श्री जितेन्द्र कुमार बंसल, अधिशाषी अभियन्ता-प्रथम	2560696	-	9413386302	(g) श्री राजेश सहारण, अधिशाषी अभियन्ता-(द्वितीय)	2576964	-	9413385832	(h) श्रीमती बिन्दू भोभरिया, लेखाधिकारी (व्यापार)	2576964	-	7728094678	(i) श्री राणु लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी(वाणिज्य/क्यू.सी./स्टोर्स)	2565060	-	9414042690	(j) श्री महेश चन्द कौशिक, सहायक लेखाधिकारी(अभियांत्रिकी/भुगतान)	2571608	-	9414016116
	कार्यालय	निवास	मोबाइल																																											
(a) श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	2563391	2760288	9414024500																																											
(b) श्री बृज भूषण शर्मा, वित्तीय सलाहकार	2560697	-	9414067747																																											
(c) श्री राजवर्धन, संयुक्त निदेशक(प्रशासन)	2576965	-	9413386789																																											
(d) श्री सुरदीप सिंह, संयुक्त निदेशक (विकास)	2567259	-	9413339000																																											
(e) श्री योगेश कुमार वर्मा, उप निदेशक (व्यापार/क्यू.सी.)	2567730	-	9928185736																																											
(f) श्री जितेन्द्र कुमार बंसल, अधिशाषी अभियन्ता-प्रथम	2560696	-	9413386302																																											
(g) श्री राजेश सहारण, अधिशाषी अभियन्ता-(द्वितीय)	2576964	-	9413385832																																											
(h) श्रीमती बिन्दू भोभरिया, लेखाधिकारी (व्यापार)	2576964	-	7728094678																																											
(i) श्री राणु लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी(वाणिज्य/क्यू.सी./स्टोर्स)	2565060	-	9414042690																																											
(j) श्री महेश चन्द कौशिक, सहायक लेखाधिकारी(अभियांत्रिकी/भुगतान)	2571608	-	9414016116																																											

क्र.सं.	जिजासा	समाधान											
		2569946	-	9413385830									
(k)	श्री शैलेन्द्र शर्मा, प्रोग्रामर												
4.	नागरिकों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों का विवरण उन्हें प्राप्त तथा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया व स्तर।	निगम के भण्डारगृहों पर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपनी कृषि उत्पाद, बीज, उर्वरक, रासायनिक खाद, कृषि यन्त्र एवं अन्य अधिसूचित जिन्सों जैसे कि कागज, सीमेन्ट, कॉपर, लोहा, मुरमुरे, बाल पोषाहार इत्यादि का वैज्ञानिक भण्डारण करवाने की सेवाएं निगम से प्राप्त कर सकता है, इसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था निगम के राज्य में स्थित विभिन्न भण्डारगृहों में से किसी भी भण्डारगृह पर सम्पर्क कर माल जमा का प्रार्थना पत्र भर कर प्रस्तुत कर सकता है जिसके आधार पर भण्डार प्रबन्धक द्वारा माल जमा कर उसकी वेयरहाउस रसीद सम्बन्धित जमाकर्ता को जारी की जाती है। जमाकर्ता द्वारा भण्डारगृह पर जमा कराये गये अपने माल की आवश्यकतानुसार निकासी, निकासी फार्म भर कर ले सकता है।											
5.	सेवा प्रदान करने का शुल्क (यदि लागू हो) का विवरण तथा उसे उपलब्ध कराने की समयावधि का उल्लेख एवं प्रक्रिया।	निगम के भण्डारगृहों पर संग्रहित कृषि उत्पादन एवं अन्य जिन्सों का नियत दर पर संग्रहण शुल्क लिया जाता है। निगम द्वारा सहाकारी संस्थाओं, कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के हितार्थ संग्रहण शुल्क में निम्नानुसार छूट भी प्रदान की जाती है :- <table border="0"> <tr> <td>समस्त सहाकारी संस्थाओं को</td> <td>—</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>समस्त कृषकों को</td> <td>—</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को</td> <td>—</td> <td>70%</td> </tr> </table>			समस्त सहाकारी संस्थाओं को	—	10%	समस्त कृषकों को	—	60%	समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को	—	70%
समस्त सहाकारी संस्थाओं को	—	10%											
समस्त कृषकों को	—	60%											
समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को	—	70%											
		उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई जमाकर्ता तीन माह के लिए 15,000 मैटन भण्डारण क्षमता से अधिक का आरक्षण करवाता है तो उसे 7½% की छूट दी जाती है एवं सहाकारी संस्थाओं के लिए यह छूट 12½% है।											
	जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था। शिकायतें प्राप्त करने एवं निस्तारण की प्रक्रिया यथा शिकायत किस सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जानी है, उसके निस्तारण की व्यवस्था क्या है। सक्षम स्तर के अधिकारी का नाम, पद एवं टेलीफोन नम्बर आदि का उल्लेख।	जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं में प्राप्त शिकायत पर नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को निर्देशित कर शिकायत का निस्तारण करवाया जाता है। नोडल अधिकारी - श्री राजवर्धन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दूरभाष कार्यालय - 2576965											
6.	सूचना का अधिकार अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने की	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के											

क्र.सं.	जिज्ञासा	समाधान
	व्यवस्थाओं का उल्लेख आदि।	अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से निगम के जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अथवा निगम के राज्य में स्थित भण्डारगृहों पर कार्यरत भण्डार प्रबन्धक जो सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित है, के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर वांछित सूचना निर्धारित समय सीमा अवधि में प्राप्त की जा सकती है। लोक सूचना - श्री राज वर्धन, अधिकारी संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दूरभाष नम्बर - 2576965
7.	अधिकार पत्र के प्रावधानों की पालना एवं उल्लंघन के संदर्भ में विभागीय निर्देशों का विवरण।	निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के क्रियान्वयन एवं इसके प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाती है।